भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *158

दिनांक 13.12.2023 को उत्तर देने के लिए

जिला खनिज फाउंडेशन निधि

†*158. श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने जिला खनिज फाउंडेशन निधि (डीएमएफ) को राज्य सरकारों के नियंत्रण से बाहर करके उस पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ग) विशेषकर केन्द्र सरकार द्वारा इसका नियंत्रण अपने हाथ में लिए जाने के बाद डीएमएफ निधियों के अंतर्गत आज की तारीख तक एकत्र की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) इस निधि के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) डीएमएफ के अंतर्गत खर्च न की गई निधि के क्या कारण हैं?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

***

‘जिला खनिज फाउंडेशन निधि’ के संबंध में श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 13.12.2023 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *158 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): केंद्र सरकार ने जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) पर नियंत्रण नहीं किया है। डीएमएफ का गठन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित नियमों के तहत किया गया है और ये राज्य सरकारों के पूर्ण नियंत्रण में हैं। एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 9 ख राज्य सरकारों को खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के कल्याण एवं लाभ हेतु कार्य करने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) का गठन करने और राज्य में डीएमएफ के गठन और कार्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 20क के तहत, केंद्र सरकार ने दिनांक 16.09.2015 को प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) दिशा-निर्देश परिचालित किए और राज्य सरकारों को उनके द्वारा बनाए गए डीएमएफ नियमों में इसे शामिल करने के निदेश दिए। डीएमएफ के तहत निधियां संबंधित जिलों को प्राप्त होती हैं और पीएमकेकेकेवाई के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों के अनुसार उनका जिला डीएमएफ द्वारा उपयोग किया जाता है। तदनुसार, 23 राज्यों के 644 जिलों में डीएमएफ का गठन किया गया है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 जो 28.03.2021 को लागू हुआ, केंद्र सरकार को आगे डीएमएफ द्वारा निधि के संयोजन और उपयोग के संबंध में राज्य सरकारों को निदेश जारी करने का अधिकार देता है। तदनुसार, केंद्र सरकार ने डीएमएफ निधियों के प्रभावी उपयोग के लिए सभी राज्यों को निम्नलिखित निदेश जारी किए:

i. व्यापक जनहित में डीएमएफ की शासी परिषद् में सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों को शामिल करने हेतु दिनांक 23.04.2021 का आदेश।

ii. इसके अलावा, दिनांक 12.07.2021 के आदेश द्वारा डीएमएफ में उपलब्ध निधि को किसी भी तरह से डीएमएफ से राज्य राजकोष या राज्य स्तरीय निधि या किसी अन्य निधि या योजनाओं में अंतरित नहीं किया जाएगा।

iii. डीएमएफ निधियों का उपयोग कर कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पंचवर्षीय भावी योजना तैयार करने हेतु दिनांक 24.06.2022 का आदेश।

डीएमएफ की निधियों की मदद से, ओडिशा में क्योंझर की डिजिटल डिस्पेंसरियों ने अपवंचित (अंडर सर्व्ड) आबादी की जरूरतों को पूरा करते हुए दूरदराज के इलाकों में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल पहुंचाई है। टेलीमेडिसिन परामर्श, निःशुल्क दवाओं आदि ने क्षेत्र में जीवन बदल दिया है। डीएमएफ के साथ निर्मित चाईबासा का आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र पश्चिम सिंहभूम में कुपोषण से निपटने में मदद कर रहा है। ड्रैगन फल की खेती से सोनभद्र में कुपोषण की समस्या का समाधान किया जा रहा है। डीएमएफ के कारण, स्थानीय परिवार अब इस सुपरफूड को उगाते हैं, जिससे खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिए आजीविका और बच्चों के लिए बेहतर पोषण सुनिश्चित होता है।

राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश में डीएमएफ जिलों में अक्टूबर 2023 तक 84,884 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं, 3,15,225 संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए 79,426 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 46,771 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और 1,69,576 परियोजनाएं पूरी की गई हैं। तथापि, यह सूचित किया जाता है कि इस निधि के तहत केंद्र सरकार द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है। डीएमएफ के तहत एकत्रित निधियों और खर्च की गई राशि का राज्य-वार ब्योरा अनुबंध में दिया गया है।

डीएमएफ संग्रह करोड़ रुपये में	निधि आवंटन करोड़ रुपये में	व्यय की गई राशि करोड़ रुपये में	% आवंटन	% व्यय
84,884	79,426	46,771	94	55

*****

तारांकित प्रश्न संख्या - *158 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

		राशि करोड़ रुपये में	राशि करोड़ रुपये में
क्र. सं.	राज्य	डीएमएफ संग्रह	व्यय की गई राशि
1	आंध्र प्रदेश	1888.62	665.14
2	छत्तीसगढ़	12053.42	9334.26
3	गोवा**	243.40	53.23
4	गुजरात	1480.20	668.94
5	झारखंड	11861.00	5875.73
6	कर्नाटक	4467.52	2040.83
7	महाराष्ट्र*	4773.82	1883.76
8	मध्य प्रदेश	6624.09	2629.83
9	ओडिशा	24596.26	14507.53
10	राजस्थान*	8728.89	4019.79
11	तमिलनाडु	1293.42	760.57
12	तेलंगाना*	3703.89	3171.51

13	असम**	117.32	76.90
14	बिहार**	129.70	21.55
15	हिमाचल प्रदेश	307.02	52.11
16	जम्मू और कश्मीर	65.17	20.45
17	केरल*	66.97	0.00
18	मेघालय**	89.18	7.68
19	उत्तराखंड	375.60	143.28
20	उत्तर प्रदेश	1603.97	744.51
21	पश्चिम बंगाल**	148.57	36.38
22	पंजाब***	174.85	42.05
23	हरियाणा^	91.24	14.91
कुल		84884.12	46770.96

*सितंबर 2023 तक का डेटा
**अगस्त 2023 तक का डेटा
***फरवरी 2023 तक का डेटा
^अक्टूबर 2022 तक का डेटा